

June 24, 2023

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1 Block G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051, India

Symbol: BHARTIARTL/ AIRTELPP

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400001, India

Scrip Code: 532454/890157

Sub: <u>Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper advertisement w.r.t. transfer of equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund</u>

Dear Sir/ Ma'am,

We are enclosing herewith the copies of advertisements issued by the Company today i.e. June 24, 2023 in the newspapers viz. Hindustan (in Hindi) and Mint (in English), in respect of transfer of equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund.

Kindly take the same on record.

Thanking you, Sincerely Yours,

For Bharti Airtel Limited

Rohit Krishan Puri
Dy. Company Secretary & Compliance Officer

भारती एयरटेल लिमिटेड

CIN: L74899HR1995PLC095967 पंजीकृत कार्यालय : स्वरटेल सेंटर, प्लॉट नंबर 16, ज्योग विहार, airtel छेज-४, गुरूग्राम-122015, भारत फोन : 91-124-4222222, फैक्स : 91-124-4248053

ई–मेल; compliance.officer@bharti.in

सुचना

भारती एयरटेल लिमिटेड ("कम्पनी") के इविवटी शेवरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के साथ पठित निवेशक शिक्षा यह रूपना क्रमना जावानवन, 2013 (जावानवन) के साथ पाठरा निवसके रिवा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ('नियमावली') के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है। अधिनियम और नियमावली में अन्य विषयों के मध्य, उन इक्विटी शेयरों का अंतरण अनिवार्य रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को करने की व्यवस्था दी गई है, जिनके संबंध में लामांश सात लगातार वर्षों अथवा अधिक से अदत्त / अदावित है।

उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन में, कम्पनी उन शेयरधारकों को व्यक्तिशः सूचना प्रेषित कर चुकी है, जिनके लाभांश वित्तीय वर्ष 2015-16 से आरंभ करते हुए सात लगातार वर्षों से अदत्त /अदावित है। उक्त सूचना में उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने लामांश हेतु दावा, उनको भेजी गई सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, 10 सितम्बर, 2023 तक प्रस्तुत कर दें। शेयरधारकों से कोई वैध दावा उपरिवर्णित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में, कम्पनी उक्त शेयर नियमानुसार आईईपीएफ अथॉरिटी को अंतरित कर देगी।

संबंधित शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के भागी हैं, कृपया नोट करें कि उनके उक्त शेयरों को अभौतिक (डीमैट) रूप में परिवर्तित करने और तदुपरांत आईईपीएफ को अंतरित करने के प्रयोजनार्थ कम्पनी उनके द्वारा धारित मूल प्रमाणपत्र(त्रों) के रथान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। नए प्रमाणपत्र जारी करने पर, उनके नाम में पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे और अपरक्राम्य माने जाएंगे। यदि शेयरधारकों के शेयर अभौतिक (डीमैट) रूप में हैं, तो कम्पनी द्वारा ऊपर निदर्शितानुसार आईईपीएफ अथॉरिटी के डीमैट खाते में शेयरों का अंतरण संबंधित डिपॉजिटरीज के माध्यम से कार्पोरेट कार्यवाही द्वारा किया जाएगा। शेयरधारक नोट करें, कि कम्पनी ऐसे शेयरधारकों की सूची फोलियो नंबर /डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी के साथ, अपनी वेबसाइट नामतः www.airtel.in पर अपलोड कर चुकी है, जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के भागी हैं। शेयरधारक इसके अतिरिक्त नोट करें कि कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया विवरण, कम्पनी द्वारा

नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ अथॉरिटी को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी जाएगी।

इस प्रकार अंतरित किए गए शेयरों के साथ संबंधित कोई भी अतिरिक्त लागांश / लाभ भी, यदि कोई, आईईपीएफ को क्रेडिट किया जाएगा। आईईपीएफ को अंतरित लामांश और शेयर्स के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। लामांश और शेयर आईईपीएफ को अंतरित किए जाने पर शेयर्धारक नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ को आवेदन देकर उनको वापस मांग सकते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, संबंधित शेयरधारकों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे अपने अदावित लामांश हेतु अपना दावा यह सूचना प्राप्त होने पर, उपरोक्त समयावधि के भीतर, यथाशीघ्र एक लिखित आवेदन पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, निरस्त चैक की प्रति, पता प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति और मूल अ-नकदीकृत लागांश अधिपत्र को प्रांत, पता प्रमाण को स्व-स्त्यापित प्रांत आर भूल अ-नकदोकृत लामाश आधेपत्र (यदि कोई) अथवा एक सम्यक् भरा गया क्षतिपूर्ति बंधपत्र (आरटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध) सहित प्रस्तुत कर दें, जिसमें असफल रहने पर कम्पनी, अधिनियम और नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसरण में, ऐसे शेयर, जिनके संबंध में लागांश सात लुगातार वर्षों अथवा अधिक से अदत्त / अदावित है, लागू प्रावधानों के अनुसार आगे और कोई सूचना दिए बिना अंतरित कर देगी।

यदि शेयरथारकों को कुछ पूछताछ करनी है, तो वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर टांसफर एजेन्ट, केफिन टेक्नीलॉजीज लिमिटेड से उनके पते पर सम्पर्क करें। उनका पता है : सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 ; टोल फ्री नंबर : 1800-3094-001 ; ई-मेल आईडी : einward.ris@kfintech.com ; येबसाइट : www.kfintech.com.

वास्ते भारती एयरटेल लिमिटेड

हस्ता /-पंकज तिवारी कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 23 जून, 2023

एंव नोडल अधिकारी

SATURDAY, 24 JUNE 2023 NEW DELHI





Bharti Airtel Limited

CIN: L74899HR1995PLC095990 Registered Office: Airtel Center, Plot no. 16, Udyog Vihar, airtel Phase IV, Gurugram - 122015, India T: -91-124-4222222, F: +91-124-4248063 Email: compliance.officer@bharti.in

NOTICE

Transfer of equity shares of Bharti Airtel Limited ("Company") to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"). The Act and the Rules amongst other matters, provide for the compulsory transfer of equity shares, in respect of which dividend remains unpaid/ unclaimed for a period of seven consecutive years or more, to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Adhering to the aforesaid requirements, the Company has individually communicated to such shareholders whose dividends remain unpaid/ unclaimed for seven consecutive years commencing from the financial year 2015-16, requesting them to claim the same by September 10, 2023, by following the procedure laid down in the correspondences sent to them. In absence of the receipt of a valid claim by the shareholders within the mentioned time frame, the Company will transfer the said shares to IEPF authority in accordance with the Rules.

The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may please note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) held by them for the purpose of conversion of such shares into DEMAT form and their subsequent transfer to IEPF. Upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shareholders holding shares in DEMAT form, the transfer of shares to DEMAT account of the IEPF Authority as indicated herein above shall be effected by the Company through the respective depositories by way of corporate action. The shareholders may note that the Company has uploaded the updated list of such shareholders alongwith Folio No./DPID and Client ID whose shares are liable to be transferred to IEPF, on its website viz. www.airtel.in. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website is treated as notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

Any further dividend/benefit, if any, in respect of shares so transferred shall also be credited to IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the dividend and the shares transferred to IEPF. On transfer

of the dividend and shares to IEPF, the shareholders may claim the same by making an application to IEPF by following the procedure prescribed in the Rules.

In view of the above, the concerned shareholders are once again requested to claim their unclaimed dividends immediately on receipt of this Notice, within the aforesaid timelines, by submitting written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque, self-attested copy of address proof and the original uncashed dividend warrant (if any) or a duly filed indemnity bond (available on the website of RTA) failing which the Company shall, in adherence to the requirements of the Act and the Rules, transfer the shares on which dividend remains unpaid/ unclaimed for seven consecutive years in accordance with applicable provisions without any further notice.

In case the shareholders have any queries, they may contact Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, at their address Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032; Toll Free No.: 1800-3094-001; Email id: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com.

For Bharti Airtel Limited Sd/-

Pankaj Tewari Place: New Delhi Company Secretary Date: June 23, 2023 & Nodal Officer